

प्रेषक,

मौहम्मद आजाद,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जालौन स्थान उरई।

विषय:

जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक श्री ईराज राजा एवं क्षेत्राधिकारी नगर उरई श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी एवं श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली उरई द्वारा अपराधिक षडयंत्र कर मानसिक रूप तथा सामाजिक रूप से क्षति पहुँचाने के कारण स्थानांतरण हेतु प्रत्यावेदन।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के रूप में जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई में कार्यरत है, मेरे समक्ष दिनांक 24.03.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 163/2023, अंतर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन द्वारा एक अभियुक्त सत्यम राजपूत को गिरफ्तार कर अंतर्गत धारा 167 दं0प्र0सं0 के रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अभियुक्त उपरोक्त से एक किलो पाँच सौ ग्राम गोंजा बरामद दर्शित किया गया था, जिसमें से 100 ग्राम गोंजा बरामदशुदा माल में से नमूना हेतु अलग निकाल कर सील किया गया बताया था, किन्तु न्यायालय के समक्ष उपरोक्त बरामदशुदा गोंजा तथा उससे निकाला गया नमूना खुलवाया गया, दोनों एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न पाये गये, जो किसी भी तरह से एक समान नहीं थे, जिसके कारण न्यायालय द्वारा इस मामले को असत्य पाते हुए अभियुक्त का रिमाण्ड निरस्त किया गया तथा पुलिस कर्मचारीगण द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया, किन्तु संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसके विपरीत उपरोक्त मामले में तलाशी लेने वाले पुलिस उपाधीक्षक द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में दबाव डाला गया था, जिसके संबंध में सम्पूर्ण आदेश दिनांकित 24.03.2023 श्रीमान् जी के समक्ष अवलोकनार्थ संलग्नक 01 के रूप में शामिल है। चूँकि प्रस्तुत मामले में तलाशी लेने वाले संबंधित क्षेत्राधिकारी और विवेचक एवं गिरफ्तारी करने वाले अन्य पुलिस कर्मचारीगणों के विरुद्ध कार्यवाही होने की सम्भावना थी, किन्तु उपरोक्त प्रकरण की जानकारी दिये जाने के बावजूद भी संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके विपरीत उपरोक्त समस्त पुलिस कर्मचारीगण/अधिकारीगण मुझ पीठासीन अधिकारी से रंजित मानने लगे।

फौजदारी वाद संख्या 82/2023 सरकार बनाम शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू के मामले में मेरे द्वारा दिनांक 04.09.2023 को निर्णय अपने आशुलिपिक से अपने विश्राम कक्ष में बोलकर लिखवाया जा रहा था, उसी समय लगभग प्रातः 10.20 पर क्षेत्राधिकारी उरई श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी मेरे विश्राम कक्ष में बिना



पूछे चले आये, मैंने उनसे आने का कारण पूछा, तब उन्होंने कहा कि मुझे एस0पी0 साहब ने भेजा है और कहा है कि इस मामले में अभी निर्णय पारित न किया जाए, क्योंकि इस मामले में स्वयं एस0पी0 साहब भी अभियुक्त की गिरफ्तारी में शामिल रहे तथा उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस मामले की शासन द्वारा निगरानी की जा रही है। अभियुक्त को अभी जेल में ही रखा जाना था। मेरे द्वारा यह कहने पर कि यह मामला आज निर्णय हेतु नियत है, इस कारण यह मामला स्थगित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त क्षेत्राधिकारी महोदय गुस्से में आ गये तथा उन्होंने एस0पी0 साहब के द्वारा मुझ पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की धमकी दी और गुस्से में भविष्य में देख लेने की धमकी देते हुए मेरे विश्राम कक्ष के बाहर चले गये, जिसके संबंध में मेरे द्वारा समस्त विवरण उपरोक्त पत्रावली के आदेश पत्रक में अंकित किया तथा उपरोक्त सम्पूर्ण आदेश पत्रक महोदय के अवलोकनार्थ संलग्नक 2/1 ता 2/6 के रूप में शामिल है।

उपरोक्त के अलावा मेरे द्वारा दिनांक 21.10.2023 में प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली उरई के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि महोदय के अवलोकनार्थ संलग्नक 03 के रूप में शामिल है। दिनांक 26.10.2023 को अभियुक्त प्रिन्स वर्मा का मुकदमा अपराध संख्या 420/2023, अंतर्गत धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अभियुक्त उपरोक्त का रिमाण्ड अंतर्गत धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का निरस्त किया गया था तथा विवेचक को समुचित कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। इसके अलावा दिनांक 21.10.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 298/2023 में थाना कालपी की पुलिस द्वारा आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विवेचक डा0 देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी कालपी द्वारा विवेचना सम्पादित की गयी थी तथा गलत धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा उसे न्यायालय द्वारा संशोधित कर संज्ञान लिया गया तथा क्षेत्राधिकारी कालपी को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उपरोक्त क्षेत्राधिकारी द्वारा अपनी गलती मानते हुए भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न किये जाने का आश्वासन लिखित रूप में प्रस्तुत किया था, जिनकी प्रतिलिपि महोदय के अवलोकनार्थ संलग्नक 4/1 ता 4/3 के रूप में शामिल है।


महोदय मेरे द्वारा उपरोक्त विधिक आदेश किये जाने के कारण जनपद जालौन की पुलिस मुझ पीठासीन अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से रंजिश मानने लगी है तथा इसी को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त पुलिस अधीक्षक ईराज राजा तथा क्षेत्राधिकारी उरई श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी व श्री जितेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली उरई द्वारा मुझसे व्यक्तिगत रंजिश मानकर अपने अंहकार के वशीभूत होकर मेरे विरुद्ध अपराधिक षडयंत्र किया जा रहा है तथा इस अपराधिक षडयंत्र के तहत मेरे व्यक्तिगत मोबाइल की काल डिटेल्स बिना मेरी जानकारी के संबंधित पुलिस अधिकारीगण द्वारा निकाली गयी है तथा मेरे मोबाइल को सर्विलान्स पर भी लगाया गया तथा मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विधि विरुद्ध रूप से हनन किया गया तथा मेरे संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि उपरोक्त पुलिस अधिकारीगण द्वारा इस अपराधिक षडयंत्र के तहत कुछ दस्तावेजों की कूटरचना कर माननीय उच्च न्यायालय में मुझ पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध झूठी शिकायत प्रेषित की गयी है, किन्तु संबंधित पुलिस द्वारा मेरे विरुद्ध उक्त शिकायत में क्या लिखा गया है, मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हो पायी। महोदय मुझे पूर्ण

आशंका है कि जनपद जालौन के उपरोक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा मेरे या मेरे परिवार के विरुद्ध रजिशन कोई भी अपराधिक षडयंत्र कर कार्यवाही की जा सकती है, इस कारण मैं अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने में मानसिक रूप से असमर्थ पा रहा हूँ तथा मेरे मस्तिष्क में हमेशा पुलिस द्वारा कोई झूठी अपराधिक कार्यवाही मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कर दिये जाने का डर बना रहता है। इस कारण मैं मानसिक रूप से अत्यन्त प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त तथ्यों की गहनता से जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायसंगत कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए एवं मेरा स्थानांतरण जनपद जालौन से किसी अन्य जनपद में कर दिया जाए, जिससे कि मैं बिना किसी भय से अपने पदेन कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूँ। माननीय महोदय की अति कृपा होगी।

आदर सहित।

दिनांक: 14.12.2023


भवदीय,



(मौहम्मद आजाद),

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,

जालौन स्थान, उरई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट
जालौन, रियासत-उरई



केवल नकल के लिये

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयार होने की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
<p>18-10-2023</p> <p>अब्दुल क़द्वर सं. पाठक लेख</p>	<p>21-10-2023</p> <p>इक़ोम इक़्बूवा सं. पाठक लेख</p>	<p>21-10-23</p> <div style="text-align: center;"> </div>	<p style="text-align: center;"> प्रधान प्रशासिका (विशेष) जम्मू न्यायलय 37ई </p>



न्यायालय: विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट, जालौन स्थान उरई।

दिनांक: 24.03.2023

आदेश

आज विवेचक श्री गौरव कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्त सत्यम राजपूत पुत्र रामसिंह, निवासी ग्राम खेड़ा शिलाजीत, थाना जरिया, जिला हमीरपुर को मु0अ0स0 163/2023 अंतर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कोतवाली उरई जिला जालौन द्वारा मेरे समक्ष गिरफ्तार किया जाकर मय माल गोंजा के प्रस्तुत किया, जिसमें अभियुक्त के पास से 1 किलो 500 ग्राम दर्शित किया गया, जिस बरामदशुदा माल में से 100 ग्राम गोंजा निकाल कर बत्तौर नमूना सील मुहर किया गया तथा शेष माल 1 किलो 400 ग्राम अलग से सील मुहर कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा नमूना मुहर 100 ग्राम तथा बरामदशुदा माल 1 किलो 400 ग्राम जिसमें से उपरोक्त नमूना माल निकाला जाना बताया गया है, दोनो का सील मुहर खुलवा कर व्यक्तिगत रूप से बरामदशुदा माल का अवलोकन किया गया। नमूना मुहर में जो गोंजा पाया गया, वह गोंजे के पीछे के फलने व फूलने वाले सिरे पाये गये तथा जो बरामदशुदा माल जिसमें से उपरोक्त नमूना मुहर निकाला जाना बताया गया है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई गोंजे के पीछे के फूलने व फलने वाले सिरे नहीं पाये गये, उसमें केवल पत्तियाँ, जो कि रंग में नमूना मुहर से बिल्कुल भिन्न है, पायी गयी। उपरोक्त नमूना मुहर से निकला माल किसी भी प्रकार से बरामदशुदा माल से मेल नहीं खाता है। दोनो माल भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। उपरोक्त नमूना मुहर जो कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजी जानी थी, उसमें संबंधित पुलिस द्वारा शुद्ध गोंजे को रखा गया, जबकि बरामदशुदा माल जो एक किलो चार सौ ग्राम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसमें शुद्ध गोंजा प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त दोनो माल को देखने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अभियुक्त उपरोक्त को इस मामले में झूठा फंसाया है तथा जो अभियुक्त की संविधान प्रदत्त मौलिक स्वतंत्रता को बाधित करता है, जो एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है। इस प्रकार का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। अभियुक्त सत्यम राजपूत पुत्र रामसिंह, निवासी ग्राम खेड़ा शिलाजीत, थाना जरिया, जिला हमीरपुर का रिमाण्ड निरस्त किया जाता है तथा इस मामले के मुकदमा चादी उपनिरीक्षक संदीप सिंह पीएनओ 152450555 तथा हमराही कां0 1668 सुदीप कुमार के विरुद्ध इस मामले में कठोरतम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है, जिससे कि भविष्य में इस तरह के झूठे मुकदमों में किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा आरोप लगाकर फंसाया ना जा सके। इस न्यायालय द्वारा बरामदशुदा एक किलो चार सौ ग्राम में से 50 ग्राम माल एवं नमूना मुहर जो कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना था, उसमें से भी 50 ग्राम माल निकाल कर न्यायालय में सील मुहर कर लिया गया है, जिसे न्यायालय के आदेश से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में इस जाँच हेतु भेजा जायेगा कि दोनो बरामदशुदा माल एक ही प्रकार के अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं।

प्रस्तुत मामले में इस मामले के विवेचक श्री गौरव कुमार मिश्रा द्वारा भी अत्यंत लापरवाही की गयी है, उसके द्वारा इस मामले की ठीक ढंग से विवेचना नहीं की जा रही थी और न ही उसके द्वारा बरामदशुदा माल को देखा गया और न ही मामले के तथ्यों की समुचित रूप से जाँच की गयी



35/18/10/23

खेलक - 2


13/10/23
82
ज्यामलश डामर जिला एवं सप्तज्यामाहीश / विशेष ज्यामाहीश (पोलीस)
स्वच्छ) जालकौन ख्यात उरई
- वि गिनता केस सं० 82/2023

सरकार - लनाम - शील-पुजापति उर्फ सोनू आदि




सम्पूर्ण डाइटरी

फोटो स्टेट कारी



<p>पुनर्निर्माण (Punjab) 2018-2019</p>	<p>10-10-2018</p>	<p>10-10-2018</p>	<p>10-10-2018</p>
<p>अकल वापिस देले वाले आधिकारी के हस्ताक्षर</p>	<p>अकल वापिस दिये जाने की तारीख</p>	<p>अकल तैयार होने की तारीख</p>	<p>प्रार्थना पत्र लेने की तारीख</p>

कंपन अकल के लिये



न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
जालौन स्थान उरई।

रं.

2/1

किमिनल केस सं० 82/2023

सरकार

बनाम

शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू आदि

मु०आ०सं० - 90/2023

धारा- 376 डी,328,506 भा०द०सं०

व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट

व 67बी आई०टी० एक्ट

थाना - रेडर

जिला जालौन।

दिनांक:-07.07.2023

आज यह आरोप पत्र विवेचक द्वारा अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 376 डी,328,506 भा०द०सं० व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 67बी आई०टी० एक्ट थाना- रेडर ने प्रस्तुत किया गया। मैंने विवेचक द्वारा प्रस्तुत सभस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 376 डी,328,506 भा०द०सं० व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 67बी आई०टी० एक्ट थाना रेडर का प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। अतः प्रसंज्ञान लिया जाता है।

आदेश हुआ कि मुकदमा दाण्डिक फौजदारी वाद के रूप में दर्ज हो। अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू जेल में निरूद्ध हैं। पत्रावली दिनांक 13.07.2023 को वास्ते देने नकलें पेश हों।



07/07/23
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
जालौन स्थान उरई।

52
18-10-2023

सं. - (2/2)

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) जालौन स्थान उरई।

फौजदारी वाद संख्या-82/2023

सरकार

पनाम

शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू।

दिनांक: 13.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू जेरे हिरासत उपस्थित आए।
विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचन के विन्दु पर सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने मामले के तथ्यों को रखा तथा उस साक्ष्य को पढ़कर सुनाया, जिसे वह अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू के विरुद्ध अतर्गत धारा 376डी, 328, 506 भा0दं0सं0 व धारा 5जी/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व 67वीं आई0टी0एक्ट का अपराध साबित करना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अधार पर इस स्तर पर अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू के विरुद्ध अतर्गत धारा 376डी, 328, 506 भा0दं0सं0 व धारा 5जी/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व 67वीं आई0टी0एक्ट का आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध तदनुसार आरोप विरचित किया जाता है।

अभियुक्तगण- शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू व राज उर्फ गुल्लू को उपरोक्तनुसार आरोपित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इंकार किया और विचारण की माचना की। अतः मुकदमा वास्ते साक्ष्य दिनांक 20/7/23 पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब किये जाये।

[Signature]
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट),
जालौन स्थान उरई।



13-10-2023

शैलेन्द्र प्रजापति
शैलेन्द्र प्रजापति

रिवकुमारी

20/7/23
शैलेन्द्र प्रजापति
राज उर्फ गुल्लू
20/7/23
शैलेन्द्र प्रजापति
राज उर्फ गुल्लू

5/8

7/8

दिनी 28/7/23 ~~महेश्वर देवनाथ~~ (शैलेन्द्र प्रजापति)
~~अभिमान जेता हे स/म~~ ~~शरणाग्र~~
~~महेश्वर प्र-2 मी दिने~~
~~दिने 1/1~~
~~महेश्वर दिने 7/8/23~~
~~महेश्वर जेता हे स/म~~
~~महेश्वर जेता हे स/म~~
~~महेश्वर जेता हे स/म~~



अशोक

7/8/23 ~~महेश्वर देवनाथ~~
~~अभिमान जेता हे स/म~~
~~महेश्वर प्र-2 मी दिने~~ शैलेन्द्र प्रजापति
~~महेश्वर जेता हे स/म~~
~~महेश्वर जेता हे स/म~~ शरणाग्र
~~महेश्वर जेता हे स/म~~
~~महेश्वर जेता हे स/म~~

9/8/23

~~महेश्वर देवनाथ~~

10/08/23

~~अभिमान जेता हे स/म~~
~~महेश्वर प्र-2 मी दिने~~ शैलेन्द्र प्रजापति
~~महेश्वर जेता हे स/म~~
~~महेश्वर जेता हे स/म~~ शरणाग्र

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 विशेष न्यायाधीश महाराष्ट्र राज्य
 जालगाँव, ३९००२३

कतः ०५/०३

रतः २/३

१०/०१/०३

~~संज्ञा~~ ~~संज्ञा~~
अभिज्ञान संज्ञा

१६
८

३५ (१) ५५ (२) ५५ (३)
५५ (४) ५५ (५) ५५ (६)

जि शैले-प्रजापति

संज्ञा/संज्ञा/संज्ञा

के अर्थ/के अर्थ/के अर्थ (ज शैले-प्रजापति)

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा/१०/०१/०३

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

स्पष्ट



52
18-10-2023

१६/०१/०३

~~संज्ञा~~ ~~संज्ञा~~

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

जि शैले-प्रजापति

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

(ज शैले-प्रजापति)

अभिज्ञान संज्ञा/अभिज्ञान संज्ञा

स्पष्ट

1977

पुस्तक

28
 8

इतिहास में जैसा कि आप
 इतिहास में आप पा सकते हैं
 इतिहास में आप पा सकते हैं
 इतिहास में आप पा सकते हैं

पुस्तक
 आप पा सकते हैं

पुस्तक



52
 18-10-2023

23/11/23 - पुस्तक
 पुस्तक
 पुस्तक
 पुस्तक

(1) शैलेन्द्र प्रजापति

(2) राज प्रजापति

28/11/23 - पुस्तक
 पुस्तक
 पुस्तक
 पुस्तक

(1) शैलेन्द्र प्रजापति

(2) राज प्रजापति

01/12/23 - पुस्तक
 पुस्तक
 पुस्तक

(1) शैलेन्द्र प्रजापति

(2) राज प्रजापति

4/0

शैलेन्द्र प्रजापति

शैलेन्द्र प्रजापति

दिनांक 04.09.2023

मैं पीठासीन अधिकारी मौहम्मद आजाद आज प्रातः 10 बजकर 15 मिनट पर अपने विश्राम कक्ष में बैठकर फौजदारी वाद संख्या-82 सन 2023 सरकार बनाम शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू में अपने स्टैनो श्री सुरेश कुमार गौतम को निर्णय लिखा रहा था तभी मेरे विश्राम कक्ष में क्षेत्राधिकारी चरई बिना पूँछे चले आये, जब मैंने उनसे पूँछा कि आप बिना पूँछे मेरे विश्राम कक्ष में क्यों आये। मैं जजमेण्ट लिखा रहा हूँ, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी ने मुझसे कहा कि मुझे एस0पी0 साहब ने भेजा है और कहा है कि इस मामले में निर्णय पारित न किया जाए, क्योंकि एस0पी0 साहब इस मामले में अभियुक्त को पकड़वाने में स्वयं शामिल रहे हैं तथा शासन द्वारा इस केस में जानकारी की जा रही है। मेरे द्वारा कहा गया कि यह मामला आज निर्णय में नियत है मैं किसी भी स्थिति में निर्णय नहीं टाल सकता, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी महोदय अत्यधिक गुस्से में आ गये और कहा कि आप एस0पी0 साहब को नहीं जानते हैं तथा इस केस पर शासन द्वारा निगरानी की जा रही है, अगर आपने इसमें निर्णय पारित किया, तो आपके खिलाफ एस0पी0 साहब शासन स्तर से कार्यवाही करा देंगे। उपरोक्त क्षेत्राधिकारी को अपने विश्राम कक्ष से चले जाने के लिए कहा, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी गुस्से में भविष्य में देख लेने की धमकी देते हुए चले गये। उपरोक्त क्षेत्राधिकारी का यह कृत्य पूर्ण रूप से न्यायालय की अयमानना की श्रेणी में आता है तथा इस क्षेत्राधिकारी के द्वारा एक अपर जनपद न्यायाधीश को इस तरह से धमकी देना न्यायपालिका की गरिमा के प्रतिकूल है, जिसके कारण मुझे बहुत मानसिक तनाव हुआ है कि भविष्य में मेरे खिलाफ कोई झूठी कार्यवाही न कर दे। इस संबंध में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया जायेगा।



अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश प्रथमो एवट
जालौर, रसायन-चरई

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जालौन स्थान उरई।

फौजदारी वाद संख्या-82 सन 2023

सरकार

प्रति

शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू आदि।

दिनांक 04.09.2023

पेश हुआ। पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू तथा राज उर्फ गुल्लू जेरे हिशसत उपस्थित। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आदेश

फौजदारी वाद संख्या-82 सन 2023, मु0अ0स0-90/2023, अंतर्गत धारा-376डी, 328, 506 भा0द0स0 व धारा-5जी/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं 67वी आई.टी.एक्ट. थाना रैंडर, जिला जालौन के आरोप से अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू तथा राज उर्फ गुल्लू को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू तथा राज उर्फ गुल्लू जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्तगण शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू तथा राज उर्फ गुल्लू का रिहाई परवाना तैयार कर अयिलम्ब जिला कारागार प्रेषित किया जाए।

प्रत्येक अभियुक्त द्वारा धारा 437(क) दं0प्र0स0 के अनुपालन में अंकन 25,000-25,000/-रूपये (पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो प्रतिभू अंदर एक सप्ताह प्रस्तुत करें। उक्त बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र 06 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे, इसके पश्चात बंधपत्र और प्रतिभूपत्र निरस्त समझे जायें। इस निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई को प्रेषित की जाए।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
जालौन स्थान उरई।



शैलेन्द्र प्रजापति
214 प्रजापति

PREPARED BY PHOTO-STAT MACHIN

Words About 1000

TRUE-COPY

Head Copiest (Civil)
Distt. Judge's Court
ORAI

प्रेषक,

मौहम्मद आजाद,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जालौन स्थान उरई।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि मैं पीठासीन अधिकारी मौहम्मद आजाद आज प्रातः 10 बजकर 15 मिनट पर अपने विश्राम कक्ष में बैठकर फौजदारी वाद संख्या-82 सन 2023 सरकार बनाम शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू मुकदमा अपराध संख्या-90 सन 2023, अंतर्गत धारा-376डी, 328, 506 भा0दं0सं0 व 5जी/6 पाक्सो एक्ट व 67बी आई0टी0एक्ट थाना रेंडर जिला जालौन में अपने स्टेनो श्री सुरेश कुमार गौतम को निर्णय लिखा रहा था तभी मेरे विश्राम कक्ष में क्षेत्राधिकारी उरई बिना पूँछे चले आये, जब मैंने उनसे पूँछा कि आप बिना पूँछे मेरे विश्राम कक्ष में क्यों आये। मैं जजमेण्ट लिखा रहा हूँ, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी ने मुझसे कहा कि मुझे एस0पी0 साहब ने भेजा है और कहा है कि इस मामले में निर्णय पारित न किया जाए, क्योंकि एस0पी0 साहब इस मामले में अभियुक्त को पकड़वाने में स्वयं शामिल रहे हैं तथा शासन द्वारा इस केस में जानकारी की जा रही है। मेरे द्वारा कहा गया कि यह मामला आज निर्णय में नियत है मैं किसी भी स्थिति में निर्णय नहीं टाल सकता, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी महोदय अत्यधिक गुस्से में आ गये और कहा कि आप एस0पी0 साहब को नहीं जानते हैं तथा इस केस पर शासन द्वारा निगरानी की जा रही है, अगर आपने इसमें निर्णय पारित किया, तो आपके खिलाफ एस0पी0 साहब शासन स्तर से कार्यवाही करा देंगे। यह सुनकर मैंने उपरोक्त क्षेत्राधिकारी को अपने विश्राम कक्ष से चले जाने के लिए कहा, तब उपरोक्त क्षेत्राधिकारी गुस्से में भविष्य में देख लेने की धमकी देते हुए चले गये। उपरोक्त क्षेत्राधिकारी का यह कृत्य पूर्ण रूप से न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रस्तुत मामले में उपरोक्त क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांक: 04.09.2023

भवदीय,



(मौहम्मद आजाद),

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
जालौन स्थान उरई।

संलग्नक - 3

न्यायालय विशेष न्यायाधीशों पॉवसी श्वह जालीन स्थान उरई

मुकदमा अ० सं० - ५२०/२०२३

सरकार


५४

पिस वर्मा


77
27/10/23




आदेश दि० २६/१०/२३



केवल नकल के लिये

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयार होने की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
<p>२७/१०/२३</p> <p>सातगिरि अवरुधर</p> <p>सर थी इमार</p> <p>तेरि</p>	<p>३०/१०/२३</p> <p>तीस अवरुधर</p> <p>सर थी इमार</p> <p>तेरि</p>	<p>३०-१०-२३</p>	<p style="text-align: center;">  प्रधान प्रतिनिधिक (सिविल) जनपद-न्यायालय उरई </p>



न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जालौन स्थान उरई।

दिनांक: 26.10.2023

आज दिनांक 26.10.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 420/2023 अंतर्गत धारा 363, 366 भा0द0स0 व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के अंतर्गत अभियुक्त प्रिंस वर्मा का अंतर्गत धारा 167 द0प्र0स0 में न्यायिक रिमाण्ड हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा समस्त केस डायरी एवं पीडिता के बयान अंतर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0स0 का अवलोकन किया गया। अभियुक्त प्रिंस वर्मा का रिमाण्ड दिनांक 22.10.2023 को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार कर रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया था तथा रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आज दिनांक 26.10.2023 तक का स्वीकार किया गया है, उसके पश्चात विवेचक द्वारा मेरे समक्ष उपरोक्त अंतर्गत धारा 363, 366 भा0द0स0 व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अग्रिम रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया। पीडिता ने अपने धारा 161 द0प्र0स0 के बयानों में अपने घर से अकेले जाना बताया है तथा अभियुक्त प्रिंस वर्मा के द्वारा उसे किराये के कमरे में स्थित मुहल्ला नया रामनगर उरई में रखा जाना बताया है तथा यह भी कथन किया है कि अभियुक्त प्रिंस वर्मा उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। अभियुक्त प्रिंस वर्मा उसके पास आता जाता था तथा पीडिता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0स0 के बयानों में अभियुक्त प्रिंस वर्मा का घटना में शामिल होना नहीं बताया है, बल्कि किसी मोहित नाम के व्यक्ति के साथ गुजरात जाना बताया है तथा विवेचक द्वारा जो केस डायरी प्रस्तुत की गयी, उसमें किसी भी व्यक्ति के बयान धारा 161 द0प्र0स0 में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है कि अभियुक्त प्रिंस वर्मा द्वारा पीडिता के ऊपर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 में परिभाषित लैंगिक हमला कारित किया हो। अतः उपरोक्त समस्त केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रिंस वर्मा के विरुद्ध कोई मामला प्रथम दृष्टया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत नहीं आता है। इस कारण धारा 7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का रिमाण्ड दिया जाना समुचित नहीं है तथा इस न्यायालय को इस मामले में वर्तमान साक्ष्य संकलन के स्तर पर कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का रिमाण्ड निरस्त किया जाकर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अग्रिम न्यायिक रिमाण्ड समुचित धाराओं में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जाना समुचित है।

आदेश

अभियुक्त प्रिंस वर्मा का मुकदमा अपराध संख्या 420/2023 अंतर्गत धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के अंतर्गत रिमाण्ड निरस्त किया जाता है। अगर भविष्य में अभियुक्त के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई मामला विवेचक विवेचना के दौरान पाता है, तब इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मामला प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत होता है। इस कारण अभियुक्त को रिमाण्ड हेतु संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

M. A. J.
(मौहम्मद आजाद)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
जालौन स्थान उरई।

Freeed.
26.10.2023



TRUE COPY
Head Copiest (Civil)
Dist. Judge's Court
ORAI

PREPARED BY FRODO-STAT MACHIN

Words About 250

खिलाफत . 4

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पावली स्वतः जालीम स्वाम डरड

मु. अ. सं. - २९४/२०२३

78
२७/१०/२३


सक्राट

५५

आनंद यादव



कोर्ट स्टेट कॉपी पृष्ठ ३



केवल नकल के लिये

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयार होने की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
<p>१७/१०/२३</p> <p>शालग्राम शकटुवर</p> <p>सप्त दी हजार</p> <p>तेरह</p>	<p>३०/१०/२३</p> <p>तीस अक्टूबर</p> <p>सप्त दी हजार</p> <p>तेरह</p>	<p>३०/१०/२३</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p>प्रधान प्रतिनिधिक (सिविल)</p> <p>जनपद-न्यायालय</p> <p>उ३३</p>



सं- 4/1

सेवा में

मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पौंसको एक्ट महोदय
जनपद जालौन स्थान उरई

विषय- मु०अ०स० 298/2023 धारा 377 भादवि व 5G/6 पाकसो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT थाना
कालपी जनपद जालौन वनाम आनन्द यादव आदि में धाराओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आख्या।
महोदय

निवेदन है कि मु०अ०स० 298/2023 धारा 377 भादवि व 3(2)V पाकसो एक्ट व 3(2)V
SC/ST ACT थाना कालपी जनपद जालौन वनाम आनन्द यादव आदि पंजीकृत होकर विवेचना मुझ
क्षेत्राधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त के पीडित आशीष के साथ दो
अभि० गण द्वारा सामूहिक रूप से तैंगिग अपराध किये जाने के साक्ष्य पाये गये। अभि० आनन्द यादव
के विरुद्ध धारा 377 भादवि व 5G/6 पाकसो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT अपराध पाया गया। परन्तु
सहवन से धारा 5G/6 पाकसो एक्ट की जगह धारा 3(2)V पाकसो एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया
गया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

स्पष्टीकरण सादर सेवा में प्रेषित है।

दिनांक अक्टूबर 26, 2023

(डा० देवेन्द्र कुमार)
SIO, JALAI
क्षेत्राधिकारी कालपी
जनपद जालौन

26/10/23



TRUE-COPY

Head Copiest (Civil)
Distt. Judge's Court
ORAI

PREPARED BY PHOTO-STAT MACHIN

Words About 80

सं. 4/2

1134

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), जालौन स्थान उरई।

मु0अ0स0-298/2023,
धारा-377 भा0द0स0 व 3/4 लैंगिक अपराधों
से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा
3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना कोतवाली
कालपी, जिला जालौन।

नोटिस
बनाम
डॉ० देवेन्द्र कुमार,
क्षेत्राधिकारी कालपी, जनपद जालौन।

दिनांक 21.10.2023

यह कि उपरोक्त मु0अ0स0-298/2023, धारा-377 भा0द0स0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना कोतवाली कालपी, जिला जालौन में बाद विवेचना आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं में प्रेषित किया गया है, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पूर्व अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आपके द्वारा आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं में प्रेषित किया, जबकि दो व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से पीड़ित के साथ लैंगिक अपराध किये का साक्ष्य आपके द्वारा एकत्र किया गया है। अभियुक्त आनन्द यादव के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 377 भा0द0स0 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(जी)/6 व धारा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अंतर्गत पाया गया तथा इन्हीं धाराओं में न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए संज्ञान लिया गया है, किन्तु आपके द्वारा जो आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, वह कम गम्भीर धाराओं में प्रेषित किया गया है। आप इस आशय का स्पष्टीकरण देकर दिनांक 26.10.2023 को प्रातः न्यायालय में उपस्थित हों कि आपके द्वारा यह कृत्य जानबूझकर किया गया अथवा सहवन हुआ है। आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आपके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट),
जालौन स्थान उरई।

श्रीवत्सल
जिला न्यायाधीश
21/10/23



TRUE COPY PREPARED BY PHOTO-STAT MACHIN
Head Copiest (Civil) Words About 250
Distt. Judge's Court
ORAI

खं - 4/3

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), जालौन स्थान उरई।

मु0अ0सं0-298/2023,
धारा-377 भा0द0सं0 व 3/4 लैंगिक अपराधों
से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा
3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना कांतबाली
कालपी, जिला जालौन।


दिनांक: 21.10.2023

थाना कालपी द्वारा अभियुक्त आनन्द यादव पुत्र ज्ञान सिंह के विरुद्ध धारा 377 भा0द0सं0 व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इस मामले के नाबालिग पीड़ित के साथ अप्राकृतिक कृत्य किये जाने के संख में अभियुक्त आनन्द यादव तथा अपचारी अंकित के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज हुआ था तथा दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध पीड़ित के साथ अप्राकृतिक कृत्य किये जाने का पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया गया, जिसके संदर्भ में पीड़ित ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 के बयानों में कथन किया है कि उपरोक्त दो व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ गलत हरकत किया जाना बताया गया है तथा चिकित्सीय परीक्षण में भी पीड़ित के साथ अपराधिक बल का प्रयोग किये जाने का साक्ष्य आया है तथा पीड़ित ने अपने धारा 164 द0प्र0सं0 के बयानों में उपरोक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किये जाने का कथन किया है। चूंकि पीड़ित के साथ दो व्यक्तियों द्वारा सामूहिक लैंगिक हमला कारित किया गया है, जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(जी) के अंतर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा में आता है तथ पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रस्तुत मामले में विवेचक डा0 देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी कालपी द्वारा विवेचना सम्पादित की गयी है। अभियुक्त आनन्द यादव के विरुद्ध अंतर्गत धारा 377 भा0द0सं0 व 3/4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया तथा अपचारी अंकित के विरुद्ध विवेचना जारी होने का अंकन अपने प्रेषित आरोप पत्र में किया गया है। क्षेत्राधिकारी कालपी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित न करके कम गम्भीर धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जो अत्यन्त लापरवाही का घद्योतक है। क्षेत्राधिकारी कालपी उपरोक्त जो कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, उनके द्वारा मामले में विवेचना के पश्चात जो आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह अत्यन्त लापरवाही से प्रेषित किया गया है। क्षेत्राधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार को इस आशय की नोटिस जारी हो कि वह न्यायालय में दिनांक 26.10.2023 को प्रातः 10.00 उपस्थित होकर कारण दर्शित करें कि उनके द्वारा उपरोक्त कृत्य जानबूझकर नहीं किया गया है। अभियुक्त आनन्द यादव के विरुद्ध अपराध का संज्ञान अंतर्गत धारा 377 भा0द0सं0 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(जी)/6 व धारा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। अभियुक्त का धारा 309 द0प्र0सं0 का वारण्ट तैयार कर जिला कारागार प्रेषित हो। पत्रावली बास्ते सुनवाई आरोप दिनांक 26.10.2023 को पेश हो।


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट),
जालौन स्थान उरई।



78
27/10/23



केवल नकल के लिये

प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नकल तैयार होने की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
<p>27/10/23</p> <p>राजप्रताप शिवधूरा समूह से हजार रुपये</p>	<p>27/10/23</p> <p>तीसरा अक्टूबर समूह से हजार रुपये</p>	<p>27/10/23</p>	<p style="text-align: center;">  प्रधान प्रतिनिधिक (सिविल) जनपद-न्यायालय उर्ई </p>

